

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर।
e-mail- eke2blrpur1@gmail.com

दिनांक...../.....2026

पत्रांक...../वीरपुर,

पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या :- 06 / 2026-27

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के ज्ञापांक 2775 दिनांक 11.09.2026 से प्राप्त निदेश एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) के आलोक में पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर के अधीन पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल भीमनगर के अनुपयोगी यंत्र / संयंत्रों / उपस्करों की नीलामी की जानी है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	अनुपयोगी यंत्र / संयंत्रों / उपस्करों का नाम एवं संख्या	नीलामी की संख्या	नीलामी की न्यूनतम बोली	नीलामी की तिथि
1.	सूचना पट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार	26 Item	26146	28.09.2026

नियम एवं शर्तें :-

- इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 28.09.2026 से दिनांक 08.10.2026 तक कार्यालय अवधि में (रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) प्रमंडलाधीन पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल भीमनगर के अनुपयोगी यंत्र/संयंत्रों/उपस्करों निरीक्षण कर सकते हैं।
- सभी सामग्री जहाँ भी है, जो भी है, जैसे भी है के आधार पर नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
- नीलामी कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर के सभा-कक्ष में खुली डाक से दिनांक 09.10.2026 के अपराहन 1:00 बजे की जाएगी।
- इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 08.10.2026 के अपराहन 5:00 बजे तक अपने आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रुपये 2600.00 (छब्बीस सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर के नाम से देय होगा तथा वीरपुर स्थित किसी राष्ट्रीकृत बैंक (PSU Bank) में भुगतये होगा, जमा करना होगा।
- नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक / फर्म को बोली जमानत राशि (अग्रधन) के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० संलग्न करना होगा।
- नीलामी में सफल बोलीकर्ता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि सफल होने की घोषणा के साथ ही डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, जो कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर के पदनाम से देय होगा।
- नीलामी में सफल बोलीकर्ता को नीलामी की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अगले तीन दिनों के अंदर कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। उक्त अवधि के अंतर्गत नीलामी राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- नीलामी में सफल बोलीकर्ता को सामग्री की दुलाई अपने खर्च पर करनी होगी।
- किसी प्रकार का अतिरिक्त दुलाई देय नहीं होगा।
- विमुक्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् पन्द्रह (15) दिनों के अंदर सामग्री का संबंधित स्थल से उठाव सुनिश्चित करना होगा। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से रुपया -1000/- (एक हजार) रुपये दण्ड किराया देना होगा।

11. नीलामी में सफल बोलीकर्ता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
12. नीलामी बिना कारण बताए रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी की होगी।
13. विलंबित आमंत्रण अर्थात् तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (कार्यालय अवधि में या दूरभाष संख्या— 7463889464 पर संपर्क किया जा सकता है।

रु

कार्यपालक अभियंता
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर।

ज्ञापांक884...../वीरपुर

दिनांक ..28../.....09../2025

प्रतिलिपि – सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

28/9/26

कार्यपालक अभियंता
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर।

28/9/26